क्रम-संख्या—573

(9)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 1995

श्रावण 30, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1569/सत्रह-वि-1—1(क) 31-1995

लखनऊ, 21 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 18 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनिमम संख्या 18 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1995

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1995]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 15 मई, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 11 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार ऐसे स्थल जिसमें भवन का स्थल भी सम्मिलित है, के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :--

(क) विक्रय की दशा में, प्रतिफल की राशि,

या

(ख) पट्टे की दशा में, प्रीमियम की राशि,

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो।"

निरसन और व्यावृत्ति

3--(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीनकृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 1569 (2)/XVII—V—1—1 (KA)-31-1995

Dated, Lucknow, August 21, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshettra Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 18, 1995..

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1995

[U. P. Act No. 18 of 1995]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature).

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 15, 1995.

Amendment of section 11 of U. P. Act no. 6 of 1976

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely,—

"(1) For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenities in the industrial development area, the Authority may, with the previous approval of the State Government, levy such taxes as it may consider necessary in respect of any site or building on the transferee or occupier thereof, provided that the total incidence of such tax shall not exceed one per cent of the market value of such site, including the site of the building.

Explanation :—For the purposes of this sub-section, the expression 'market value' means, the amount of—

(a) consideration, in the case of sale; or

(b) premium, in the case of lease; or

(c) the minimum value determined in accordance with the rules made under the Indian Stamp Act, 1899, whichever is more."

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 24 of 1995

3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

मु(ओ०--ए० पी० 199 सा० विधा०--(2722)--1995--850 (मैक०)।